

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

पत्रांक-मु0.अ0-4 (मु0)-रा0या0-03-86/2020 - 1503

/पटना, दिनांक-26/5/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, का020000
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा
अनौपचारिक रूप से परामर्शित

विषय: योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 3 पुल निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 3 पुल निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई 128.52 मी० एवं राशि रु० 975.12233 लाख (नौ करोड़ पचहत्तर लाख बारह हजार दो सौ तेतीस रु० मात्र) है-हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

Sl.No.	District	Block	Division	Name of Scheme	Length of Bridge in m	Total Cost i.e TA Amount in Lakh
1	2	3	4	5	6	7
1	Sitamarhi	Bajpatti	Pupri	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल पुपरी के अधीनबाजपट्टी प्रखंड के रसलपुर बनटोलवा भूतहा पथ के जति जर्जर लोहे के रज्जु पार्श्व पुल के स्थान पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य।	58.08	423.63233
2	Sitamarhi	Majorganj	Sitamarhi	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेजरगंज प्रखंड में पचहरवा से बैधनाथपुर बाया अनुमाननगर पथ में मनुसमारा नदी पर उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य।	34.22	276.82000
3	Sitamarhi	Bathnaha	Sitamarhi	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बथनाहा प्रखंड में नदी पर गिरिमिशानी घाट पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर पुल का निर्माण।	34.22	274.67000
Total					126.52	975.12233

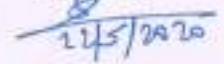
- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विषय कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सीतामढ़ी एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

G.X

26/5/2020

7. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
9. इन योजनाओं की योजनावार स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) रा०यो०-०३-६५/२०२० के पृ० सं०-०२/टि० पर दिनांक-१३.०६.२०२० को प्राप्त है।
10. ब्राड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक-३१.०५.२०१७ में निहित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४ (मु०) रा०यो०-०३-६५/२०२० के पृष्ठ संख्या-५/टि० पर दिनांक-१६.५.२० को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्रावधान की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारीयों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को असमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
18. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प सं० ३७५८ दिनांक ३१.०५.२०१७ के कड़िका १० के आलोक में राशि की विमुक्ति उद्वय/बजट उपबंध के पश्चात ही की जा सकेगी।

विश्वासनाम



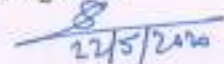
(संजय दूबे)

अपर सचिव

झापांक मु० अ०-४ (मु०)-रा०यो०-०३-६५/२०२० 1503

/पटना, दिनांक-२६/५/२०२०

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

झापांक मु० अ०-४ (मु०)-रा०यो०-०३-६५/२०२० - 1503

/पटना, दिनांक-२६/५/२०२०

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पार्वर्ड ऑफिसर, BRRDA, /मुख्य अभियंता-३, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, पुपरी एवं सीतामढ़ी/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मीर्या कमप्लेक्स, पॉन्टवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम० आई० एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम० आई० एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।



अपर सचिव